महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I) का कार्यालय
केरल, तिरुवनंतपुरम - 695 001

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

OFFICE OF THE
ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT-I)
KERALA, THIRUVANANTHAPURAM - 695 001

सं प्रशा. (ले.प.)/III/APP/JHT/CHTE-2024 दिनांक /Date: 05-02-2026

अनंतिम नियुक्ति आदेश
अनुभागीय आदेश सं. 370
PROVISIONAL APPOINTMENT ORDER
Sectional Order No. 370

नियुक्ति प्रस्ताव हेतु अपने स्वीकृति पत्र के संदर्भ में, **सुश्री. शिवानी** को दिनांक **03.02.2026 पूर्वाह्न** से महालेखाकार (ले.प.I),केरल ,तिरुवनंतपुरम के कार्यालय में कनिष्ठ अनुवादक के अस्थायी पद पर अनंतिम रूप से नियुक्त किया गया है। नियुक्ति प्रस्ताव के अनुकूल उत्तर देते समय उनके द्वारा स्वीकृत निम्नलिखित शर्तों एवं निबंधनों द्वारा उनकी नियुक्ति शासित होगी ।

With reference to her letter of acceptance for the offer of appointment, **Ms. Shivani** is appointed provisionally to the temporary post of Junior Translator in the Office of the Accountant General (Audit-I), Kerala, Thiruvananthapuram with effect from **03.02.2026 FN**. Her provisional appointment will be governed by the following terms and conditions which have been accepted by her while responding to the offer of appointment.

1. इस नियुक्ति का अनंतिम प्रस्ताव संबंधित जिला अधिकारियों द्वारा चरित्र और पूर्ववृत्त के सत्यापन के लंबित होने के कारण जारी किया जा रहा है। संबंधित जिला प्राधिकारियों से चरित्र और पूर्ववृत्त के सत्यापन की रिपोर्ट प्राप्त होने पर, कनिष्ठ अनुवादक के पद पर नियुक्ति का अनंतिम प्रस्ताव की पुष्टि कि जाएगी ।

   This Provisional offer of appointment is being issued pending verification of character and antecedents from the concerned District Authorities. On receipt of the verification of character and antecedents from the concerned District Authorities, the provisional offer of appointment to the post of Junior Translator shall be confirmed.

2. **यदि उनका चरित्र और पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं पाया जाता है या उनके द्वारा स्व-घोषणा में कोई गलत जानकारी दी गई है तो उनकी अनंतिम नियुक्ति तुरंत रद्द कर दी जाएगी और वे किसी भी सरकारी सेवा के लिए अयोग्य घोषित कर दी जाएगी तथा परिणामस्वरूप अन्य आपराधिक/कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।**
   In case her character and antecedents are found not verified or any false information is given by her in her self-declaration, the provisional appointment letter will be cancelled forthwith, and other criminal/ legal action will be taken, as a consequence.

3. परिवीक्षा की अवधि दिनांक **03.02.2026 पूर्वाह्न** से दो वर्ष के लिए होगी। हालाँकि, इसे नियुक्तिकर्ता अधिकारी / नियुक्तिकर्ता अधिकारी से उच्चतर अधिकारी के स्वविवेक के अधीन तथापि उन्हे बढ़ाया जा

सकता है। परिवीक्षा अवधि के दौरान, उनको नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी तथा के.सि.से.(अस्थायी सेवा) नियमावली 1965 द्वारा शासित होगी।

The period of probation will be for two years with effect from**03.02.2026 FN**. This may, however, be increased at the discretion of the appointing authority/authority higher than the appointing authority. During the period of probation, her appointment will be purely temporary and governed by the CCS (Temporary Service) Rules 1965.

4. परिवीक्षा अवधि के दौरान, उन्हें प्रारंभिक प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। परिवीक्षा पूरी करने के लिए प्रवेश प्रशिक्षण का सफलतापूर्वक पूरा होना पूर्वापेक्षित है।

During the period of probation, she shall have to undergo induction training. The successful completion of induction training is pre-requisite for completion of probation.

5. परिवीक्षा अवधि संतोषजनक रूप से पूरी करने पर वह कनिष्ठ अनुवादक संवर्ग में नियुक्ति के लिए पात्र होंगी । नियुक्ति इस शर्त पर भी होगी कि वह सरकारी सेवा में स्थायी नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त पाई जाए।

On satisfactory completion of the probation, she will be eligible for confirmation in the Junior Translator cadre. The confirmation is also subject to her being found fit in all respects for permanent retention in the Govt. service.

6. उन्हें वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6 (छ:) में सीसीएस (संशोधित वेतन) नियम-2016 के अंतर्गत स्वीकार्य वेतन और भत्ते प्राप्त करने की अनुमति होगी।

She will be allowed to draw her pay and allowances as admissible under the CCS (Revised Pay) Rules-2016 in level 6 (six) of the Pay Matrix.

7. दिनांक 01.01.2004 से पहले सरकारी सेवा (केंद्र सरकार) में प्रवेश न करने के मामले में वे भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 5/7/2003-ECB&PR दिनांक 22-12-2003 मे पेश की गयी 'नव पुनर्गठित निश्चित अंशदान पेंशन प्रणाली' के लिए, इस संबंध मे समय-समय पर जारी किए गए अनुवर्ती आदेशों /स्पष्टीकरणों के अधीन हकदार होंगी।

In case she had not entered Govt. service (Central Govt.) before 01.01.2004, she will be entitled to the 'New Restructured Defined Contribution Pension System' introduced vide Govt. of India, Ministry of Finance notification No. 5/7/2003-ECB&PR dated 22-12-2003 and subsequent orders / clarifications issued in this regard from time to time.

8. आईए एवं एडी में कनिष्ठ अनुवादक का पद एक केंद्रीकृत राजभाषा संवर्ग पर आधारित है। संवर्ग अखिल भारतीय स्थानांतरण दायित्व वहन करता है और तदनुसार वह भारत के लेखापरीक्षा और लेखा विभाग (मौजूदा या भविष्य में बनाए जाने वाले) के भीतर किसी भी अन्य कार्यालय में ऐसे नियमों और शर्तों पर स्थानांतरित होने के लिए उत्तरदायी होगा, जैसा कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (नि.एवं म.प.) तय कर सकते हैं। कोई संवर्ग बाह्य पद हेतु स्थानांतरण अथवा भारत सरकार के अनंतरगत या बाहर के

कोइ भी अन्य सगठन मे प्रातिनियुक्ति या स्थायी आमेलन आधार पर स्थानातरण हेतु अनुरोधो को भारत सरकार / भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक / संवर्ग नियंत्रणकर्ता प्राधिकारियों द्वारा समय - समय पर जारी अनुदेशों के द्वारा नियमित किया जाएगा। तथापि, परिवीक्षा अवधि के दौरान प्रतिनियुक्ति हेतु अनुरोध आदि पर विचार नहीं किया जाएगा।

The post of Junior Translator in the Indian Audit & Accounts Department is borne on a centralized Rajbhasha cadre. The Cadre bears All India Transfer Liability and, accordingly, she is liable to be transferred/posted to any of the existing offices of the Indian Audit & Accounts Department or new offices that may be created in future on such terms and conditions as the Comptroller & Auditor General of India (C&AG) may decide. Requests for transfer to any ex-cadre post or to any other organization within or outside Govt. of India on deputation or on permanent absorption basis will be regulated by the instructions issued by the Govt. of India / C&AG of India / Cadre Controlling Authority from time to time. However, during the period of probation, requests for deputation etc. will not be entertained.

9. परिवीक्षा सफलतापूर्वक पूरी करने तथा संतोषजनक सेवा अभिलेखों के साथ अपेक्षित अवधि की सेवा पूरी करने के पश्चात, वे रिक्तियों की उपलब्धता के अधीन, आईए और एडी के राजभाषा संवर्ग में उच्च पदों पर पदोन्नति के लिए पात्र होंगी ।

On successful completion of probation and after rendering requisite length of service with satisfactory service records, she will be eligible for promotion to the higher posts in the Rajbhasha cadre of the IA&AD, subject to availability of vacancies.

10. परिवीक्षा अवधि के दौरान, उन्हे लिखित अनुरोध पर, केन्द्र सरकार/राज्य सरकार के अधीन उन पदों के लिए आवेदन करने की अनुमति दी जा सकती है, जो केवल खुली प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से भरे जाएंगे तथा जिनका ग्रेड वेतन कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक से उच्चतर होगा।

During the period of probation, she may be allowed, on written request, to apply for the posts under the Central Govt./State Govt. to be filled only through the open competitive examinations and carrying higher Grade Pay than that of Junior Hindi Translator.

11. उनकी नियुक्ति उनके चरित्र और पूर्ववृत्त/जाति/जनजाति/ओबीसी (क्रीमी लेयर से संबंधित नहीं)/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग प्रमाण पत्र और शैक्षणिक योग्यता के उचित माध्यम से सत्यापन के अधीन है और यदि सत्यापन उपरोक्त दस्तावेजों में से किसी के साथ विरोधाभासी है, तो उनकी सेवाओं को बिना कोई कारण बताए तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा तथा और झूठा प्रमाण पत्र/घोषणा प्रस्तुत करने पर भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत किसी भी पूर्वाग्रह के बिना आगे की कार्रवाई की जाएगी। नियुक्ति के बाद धर्म परिवर्तन, यदि कोई हो, के बारे में नियुक्ति प्राधिकारी को सूचित किया जाना चाहिए।

Her appointment is subject to her character and antecedents / Caste/Tribe/OBC (not belonging to creamy layer)/EWS certificate and Educational Qualification being verified through proper channels and if the verification contradicts any of the above documents, her services will be terminated forthwith without assigning any further reasons and without prejudice to such further actions as may be taken under the provision of the Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS) for production of false certificate / declaration. The appointing authority should be kept informed of change of

religion, if any, after the appointment.

12. उन्हे सेवा में प्रवेश की तारीख से छह महीने के भीतर छुट्टी यात्रा रियायत के प्रयोजन के लिए अपने गृहनगर का विवरण देना होगा।
She should give a declaration ofher hometown for the purpose of Leave Travel Concession within six months from the date of entry into service.

13. उन्हे सीसीएस (आचरण) नियमावली 1964 की आवश्यकताओं और विवाह अधिनियम में बहुविवाह के संबंध में प्रावधान का अनुपालन करना होगा। उपस्थिति, कर्तव्यों, अनुशासन, सेवा की शर्तों आदि के संबंध में पहले से मौजूद या समय-समय पर जारी किए गए सभी नियम या आदेश स्वतः ही उन पर लागू होंगे।
She will have to comply with the requirement of CCS (Conduct) Rules 1964 and the provision w.r.t plural marriage in the Marriage Act. All rules or orders already in existence or issued from time to time regarding attendance, duties, discipline, conditions of service etc. shall automatically apply to her.

उप महालेखाकार (प्रशा.)
महालेखाकार का कार्यालय (लेखापरीक्षा -I), केरल
सहायक नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (एन)के लिए और की ओर से
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, नई दिल्ली
Deputy Accountant General (Admn.)
Office of the Accountant General (Audit-I), Kerala
For and on behalf of Asst. Comptroller and Auditor General (N),
O/o the C&AG of India, New Delhi

प्रतिलिपि/To

1. सुश्री शिवानी /Ms. Shivani
2. एसी (एन), भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक का कार्यालय /AC (N), O/o the C&AG of India
3. का.स्था. (बिल्स/रोकड़ /हक)-ले.प. I /OE (Bills/Cash/Entt)/Au-I
4. पी ए ओ /गो. कक्ष /हिन्दी कक्ष /PAO/C. Cell/Hindi Cell
5. व्यक्तिगत फाइल /Personal file.

Digitally signed by
MOHAMMED DANISH K
Date: 05-02-2026
17:17:05